मा०रा०प्र०-अ०का० अपि सं० 53/13

दिनांक	आज्ञा पत्र	
31-7-18	[illegible]	
1-10-18	पत्रावली पेश। [illegible] अधिवक्ता [illegible] की [illegible] 20.12.18 को हो। पश्चात नकल [illegible] पेश हो।	
20-12-18	पत्रावली पेश। वकील अपीलार्थी एवं अपीलांट स्वयं को बार बार आवाज दिलाई गई न्यायालय समय सायंकाल 6 बजे तक बार बार [illegible] किया गया उपस्थित [illegible] अधिवक्ता अपीलार्थी [illegible] न्यायालय अपील अपीलांट अदम हाजरी एवं [illegible] की न अपील की जाती है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण केवल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब नकलात दाखिल दफ्तर हो।	

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर